12.12 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE RE: A LETTER ALLEGED TO HAVE BEEN WRITTEN BY EMPLOYEES OF HINDALCO TO THE PRESIDENT OF HINDALCO

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 222 के तहत विशेषाधिकार भंग का सवाल उठाना चाहता हूं। मैंने शुक्रवार 2 मई को वित्त विधेयक पर बोलते हुए व्यापार और सरकार के बीच मे हुए कई प्रकार के सम्बन्धो का जिक्र किया था तथा उससे उत्पन्न भ्रष्टाचार की स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश के हिन्डालको, मिर्जापुर के कर्मचारियो की चिट्ठी हिन्डालको के सबसे बड़े अधिकारी श्री कोठारी के नाम लिखी गई, पढ़कर सुनाया। जिस सिलसिले मे वित्त मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने बतौर स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री का एक खत जो आप के नाम लिखा गया है, वित्त विधेयक का जवाब देते हुए, उसका हवाला दिया। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि जिस चिट्ठी का मैंने हवाला दिया है, वह जाली है। मैं समझता हूं कि यह आरोप मिथ्या है और जानबूझ कर मुझे बदनाम करने के लिये ऐसा किया गया है। प्रधान मंत्री जी ने अपने पत्र मे राज्य सभा के सदस्य श्री राजनारायण का भी जिक्र किया है जिस मे उन्होंने कहा है कि श्री राजनारायण ने भी इस सवाल को उठाया था, लेकिन चिट्ठी की फ़ोटो कापी के बजाय जब उन से मूल कापी मांगी गयी तो उन्होने पेश नही किया। मैंने श्री राजनारायण से सम्पर्क किया। उनका कहना है कि उनसे कभी प्रतिमूल मांगी नही गई। इस तरह से प्रधान मंत्री जी ने तथा वित्त मंत्री जी ने मिथ्या भाषण के द्वारा सदन को गुमराह किया है।

मेरे पास श्री राजनारायण जी का वह पत्र है जो उन्होने आप के पास लिखा है। मैं उस पत्र को यहां पढ़ कर सुना देना चाहता हूं—

"मुझे समाचार पत्रों मे प्रधान मंत्री के एक नकली बनावटी पत्र के बारे में समाचार पढ़ने को मिला कि उन्होंने हिण्डालको के सम्बन्ध में उस पत्र की मूलप्रति मांगी जिस पत्र मे उनके पी० एस० को पांच लाख रुपया श्री डी० पी० भगत और बी० एन सक्सैना द्वारा दिया गया है। यह पत्र 7-11-67 का है। इस सम्बन्ध में राज्य सभा मे हमने कहा था प्रधान मंत्री के सचिवालय ने या प्रधान मंत्री के किसी सचिव ने या प्रधान मंत्री के किसी अफसर ने उस पत्र की मूल प्रति न तो मुझ से कभी मांगी या न तो उस सम्बन्ध मे कभी यह सूचना दी कि उन्होंने कब उसकी जांच करवायी कि वह पत्र जाली है।

मैं कानून शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि श्रीमती गांधी का कोई जांच-करता जांच के सम्बन्ध से मुझ से कभी नही मिला। न तो किसी ने मुझ से पूछा कि यह पत्र आप को कब कहां और कैसे मिला। मैं बहुत ही दुःख के साथ यह कहना चाहता

[श्री जमेश्वर मिश्र]

कि प्रधान मंत्री जी के अन्दर एक आदत विकसित हो ती आ रही है कि वह बराबर दो जीभ से बोलती हैं और जब अपने ही बयान में कहीं फंसती हैं तो वहां से सीधे हट जाती हैं।

मेरे पास अभी इन्दरा जी के सम्बन्ध में कई खतों की मूल प्रतियां हैं, जसे एम० ओ० मथाई, श्रीमती धर्म तेजा जिसमें धर्म तेजा ने लिखा है कि केन्द्रीय सरकार ने जयंती शिपिंग कम्पनी के साथ श्रीमती गांधी के साथ जो ट्रान्जैक्शन हुआ था वह काट दिया जाय...." (व्यवधान)......

यह मैं राजनारायण जी के पत्र को पढ़ रहा हूं......(व्यवधान)......

अच्छा छोड़िये—मेरे पास, अध्यक्ष महोदय, उक्त पत्र जिसमें प्रधान मंत्री के सचिवालय द्वारा हिन्डालको से 5 लाख रुपया लेकर श्रमिक अन्दोलन नहीं होने देने का आश्वासन दिया गया, उसकी मूल प्रति, श्री कोठारी के नाम लिखी गई है, जो मैंने आप को कार्यालय में दिखाया था, राजनारायण जी भी वहां थे, जिसे मैं आप के सामने पेश कर सकता हूं।

मैं आप से निवेदन करूंगा —देश और सदन की गरिमा को देखते हुए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिये तथा अगर सरकार का यह आरोप मेरे ऊपर सही है कि यह पत्र जाली है तो जालसाजी को रोकने के लिये—मेरा आरोप प्रधान मंत्री और सुब्रह्मण्यम पर भ्रष्टाचार का है और इन का आरोप मेरे ऊपर जालसाजी का है—इसलिये मेरे खिलाफ भी विशेषाधिकार भंग है—इन दोनों के खिलाफ विशेषाधिकार भंग का साफ कारण बनता है, इसलिये इस मामले की आप एक सर्वदलीय संसदीय समिति के द्वारा जांच करायें या विशेषाधिकार समिति के द्वारा जांच करायें—यह मैं बहुत ही नम्रता के साथ निवेदन करता हूं।

इस समय जिस तरह से सुब्रह्मण्यम साहब ने कहा था कि मैंने जिस चिट्ठी का हवाला दिया था, उस चिट्ठी को नफरत की निगाह से, तुच्छ निगाह से देखना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो चिट्ठी आप को लिखी है उसके सम्बन्ध में ऐसी कड़ी भाषा बोलूं कि यह सदन उसको तुच्छ निगाह से देखे। मैं जानता हूं कि यहां पर इनका बहुमत है, जब भी कोई बात आती तो हल्ला मचा कर शेम-शेम कह देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाय। जिन्होंने दस्तखत किये हैं उनके सिगनेचर्ज को एटेस्ट कराया जाय और जिस तरह से सुब्रह्मण्यम साहब ने राज्य सभा की प्रोसीडिंग्स का हवाला दिया है—मैं समझता हूं कि इस सदन का नियम है कि दूसरे हाउस में क्या हो रहा है, उसकी चर्चा न की जाय,—वहां पर जब राज्य सभा में चर्चा हुई तो वहां के चेयरमन के नाम कोई खत इन्होंने नहीं लिखा—क्यों नहीं लिखा? जब राजनारायण ने यह सवाल उठाया था, तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने क्यों यह सवाल नहीं उठाया कि वह खत जाली है और राजनारायण ने ऐसा कोई ओरिजनल नहीं दिया? क्या वजह है कि ऐसा आप के पास ही लिखा?

सुब्रह्मण्यम साहब का कहना है कि इस बात का केवल पांच लाख रुपया—इतनी छोटी रकम—है मैं कहना चाहता हूं कि सन 1967 में इन्दिरा जी का नेहरू इतना कम था कि इस से बड़ी कीमत नहीं दी जा सकती थी, अब उनकी कीमत बढ़ गई है। उस समय कौन उनके निजी सचिव थे इस की जांच होनी चाहिये।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है, अगर मंत्री महोदय इकट्ठा जवाब दें तो अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले उनको सुन लें।

श्री मधु लिमये : वह बाद में जवाब दें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप की तरफ से वे बोल चुके हैं।

श्री मधु लिमये : लेकिन मैंने बाकायदा नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जो नोटिस देते हैं, उनमें से एक को ही बुलाते हैं, जो पहला होता है।

श्री मधु लिमये : जो बात उन्होंने नहीं कही है, मैं वही कहूंगा।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): You hear me first....

SHRI MADHU LIMAYE: You can give your reply later, after hearing me also.

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें कई सवाल उत्पन्न होते हैं जिनका जवाब मैं मंत्री जी से चाहूंगा।

(1) क्या मूल पत्र एक जन द्वारा राजनारायण जी के पास से मांगा गया था? उसका अगर सबूत इनके पास हो तो वह सदन के सामने रखें।

(2) क्या ओरिजिनल लेटर देने से राजनारायण जी ने इन्कार किया था? उसका भी अगर सबूत है तो दे दें। और जब ओरिजिनल लेटर राजनारायण जी ने आप को दिखा दिया तो ऐसी हालत मे क्या आगे कार्यवाही होनी चाहिये इसके ऊपर भी आप और सदन विचार करे। मेरी यह राय है कि यह जो ओरिजिनल लेटर राजनारायण जी ने आपको दे दिया . . .

अध्यक्ष महोदय : वह तो ले गये हैं साथ।

श्री मधु लिमये : मेरी उनसे बात हुई है, वह देने के लिये तैयार हैं। मैंने उनसे पूछा है। तो इसलिये मेरा कहना है कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी के सामने जाय, इन के बयान के बाद, और यह ओरिजिनल लेटर सही है कि नहीं इसकी जांच प्रिविलेज कमेटी करे और एक्सपर्टस को बुलाया जाय, इस बारे मे। और अगर जाली है तो यह सदन और आप माननीय कमलेश्वर मिश्र को सजा दें। राज्य सभा भी दे सकती है। लेकिन अगर यह साबित हो गया तो माननीय सुब्रह्मण्यम और प्रधान मंत्री, के

[श्री मधु लिमये]

खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हम लोगों को करनी चाहिये । इस मामले को हल्के ढंग से हम लोगों को खत्म नहीं करना चाहिये ।

Some hon. members *rose*—

MR. SPEAKER: I am not allowing any debate.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: On a point of propriety.

MR. SPEAKER: Not at this stage. I am not giving my consent. The Minister.

SHRI C. SUBRAMANIAM: Mr. Speaker, Sir, this is the letter which the Prime Minister wrote to you. I am reading only the relevant portion:

"Some time ago a photostat copy of the letter which presumably Shri Mishra read in the House was brought to our notice by Shri Raj Narain, MP. I ordered an investigation into the matter which showed that the said photostat copy was a forgery and that no officer of the HINDALCO had ever written such a letter. The results of investigation were communicated to Shri Raj Narain by my Secretariat. When he insisted that the letter was genuine and wanted further probe into the matter, it was suggested to him that, for any further investigation, the original letter would be necessary which might be produced. My Secretariat did not get any reply from Shri Raj Narain."

Therefore, it is not correct to say that no request has been made to Shri Raj Narain to produce the original letter. Now, I am reading the English translation of the Hindi letter written to Shri Raj Narain....

SHRI MADHU LIMAYE: Let us have the original.

SHRI C. SUBRAMANIAM: The original is with Shri Raj Narain. I have got the copy. That is before the Rajya Sabha now. I am reading the English translation of it. This is dated 11th November, 1974.

"Dear Shri Raj Narain, ..

I have received your letter sent in reply to mine of 26th October. You want that the letter written to Shri Kothari on 7th November, 1967, should be probed into further.

As I mentioned in my earlier letter, the photostat sent by you has been investigated and that it does not appear to be genuine. For any further probe, the original will be required. If you could send the original, the question of further action can be considered.

Sd. B. N. Tandon,
Secretary to the Prime Minister."

श्री जनेश्वर मिश्र यह जाली चिट्ठी है, कैसे हम विश्वास करें ।

SHRI C. SUBRAMANIAM: It was sent on 11th November, 1974 and therefore, the allegation that Shri Raj Narain was asked to produce the original letter and therefore, the question does not arise, all this has been going on false premises. Here is a specific request to him, that, 'If you want any further probe, kindly produce the original.'... (*Interruptions*) There was no reply from Mr. Raj Narain to this letter and even now what the Prime Minister said is that the original letter will be necessary for any further probe.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, जब प्रधान मंत्री के आफिस से पत्र आता है तो हम लोगों का हस्ताक्षर लिया जाता है, यह मैं जानता हूं । हमेशा बिना हस्ताक्षर के प्रधान मंत्री की चिट्ठी कभी हम लोगों को नहीं मिलती ।

श्री जनेश्वर मिश्र : इतना पुराना किस्सा है फिर प्रधान मंत्री ने चेयरमैन, राज्य सभा को क्यों नहीं लिखा ? भ्राप को क्यों नहीं लिखा ?

SHRI C. SUBRAMANIAM: Therefore, there is absolutely no misrepresentation about any fact. The fact is that Shri Raj Narain was asked to produce the original letter if there has got to be any further probe, and no reply was received. I do not see how any privilege question arises out of this. Even now if they produce the letter, there can be a further probe.

SHRI MADHU LIMAYE: Why did you threaten to send Mr. Janeshwar Misra to the Privileges Committee? By all means send him.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: What the hon. Minister has stated just now amounts to saying that a letter was indeed sent to Mr. Raj Narain and he was asked to produce the original. The point for consideration is whether any reliance can be put on the statement made by the hon. Minister....

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar): Why not?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I am coming to that. If any letter is sent by any one of us also, the receipt of it is signed by the recipient or anybody on behalf of the recipient....

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): No, no.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : भ्राप जरा मेरी बात शान्ति से सुन लीजिये ।

भ्रध्यक्ष महोदय : एक मिनट में कहिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेम्बर बन कर भ्राय हैं तो भ्रपने कर्तव्य का पालन करने भ्राये हैं । सारी बातों को सुनिये । यह बात क्या है ?

भ्रध्यक्ष महोदय : समय भ्रायेगा तब सुनेंगे । भ्रभी तो भ्राप ने पोइंट भ्राफ़ भ्राडर उठाया है वही कहिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : बेकार बात कर रहे हैं ?

भ्रध्यक्ष महोदय : भ्राप पोइंट भ्राफ़ भ्राडर पर भ्राइये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हां भ्रा रहा हूं ।

भ्रध्यक्ष महोदय : भ्राप जैनटिलमैन की तरह बात कीजिये । इस तरह फ़ाउन करेंगे इससे क्या फ़ायदा है । भ्राप ने पोइंट भ्राफ़ भ्राडर उठाया है उस पर कहिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यही गलत तरीके है जिन पर हम कुछ भ्रपना रोष प्रकट करते हैं ।

The point is whether any reliance can be put on the statement made by him and why should not one assume that such a letter has been forged by the Prime Minister's Secretariat? If there is no proof of its receipt by the addressee, then the assumption could be that this is an after-thought and this has been a forged document from which the hon. Minister has read. So, the House has to take that into account.

Now, the point for consideration is—this is a point of propriety too—whether a letter written to you by the Prime Minister in reply to a pointed allegation made by an hon. Member should be read out in this House. That is a point of propriety because the Prime Minister could very well have taken the opportunity of making a statement on the floor

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

of the House contradicting the allegation made by the hon. Member. Instead, the Prime Minister sent a communication to you....

श्री मधु लिमये : कुलिमस्तान के समय भी आपके आफिस को इंस्टरूमेंट बनाया गया था, यह मैं जानता हूं।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: ....and the hon. Minister utilised that communication in replying to the point made by him.

Now, you would be confronted, Mr. Speaker, with a very peculiar situation.

MR. SPEAKER: I am always.

(Interruptions)

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: This is a matter of propriety. When we also begin replying to the points made by them through letters addressed to you and we also begin quoting from those letters, very peculiar situation could be created in the House. You have to give a serious thought to that aspect of the matter also

Now, Mr. Speaker, the Prime Minister has said in her communication to you that she ordered an investigation into the matter. The person who has been accused had ordered an investigation into the matter. Could anybody in his senses put any faith in that kind of investigation and could the House be asked to believe the results of that investigation? Of course, a person (accused) can very well set up an investigation to her own advantage.

Finally, can an hon. Member...... *(Interruptions)*

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : केवल एक आदमी की यहां बोलने के लिए बपौती नहीं है। एक आदमी को ही बोलने दिया जाय, यह बात नहीं चलेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप भी बोलो।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप बाद में अपनी बात कहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : इन्होंने हाउस को मोनोपोलाइज कर लिया है। वन बाई वन सब को चान्स दीजिए।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Can an hon. Member of this House, more so the Prime Minister refer to anything that happens in that House? Now the Prime Minister said and the Finance Minister also.....

MR. SPEAKER: This is about the statement.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: She should have referred to the statement made by hon. Janeshwar Misra and not hon. Mr. Raj Narain. This is a very delicate matter that she is referring to. The Prime Minister says that presumably he was reading out from a letter which had been cited by Mr. Raj Narain. What business has the Prime Minister to assume that the hon. member was reading from the said letter which might have been a forged or not a forged letter? Now as the hon. Member said, reference should have been made to the hon. member of this House and not to an hon. member of the other House.

MR. SPEAKER: No debate.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Let Mr. Subramaniam satisfy this House that the letter just now read out was received by Raj Narain. Then we can proceed.

MR. SPEAKER: This is the letter which was addressed to me. This arose—while speaking on the Finance Bill on 2nd May, Janeshwar Misra alleged that Shri S. S. Kothari presented Rs. 5 lakhs to the private Secretary.

This arose out of the statement of a Member of this House and this too while he was speaking on the Finance Bill which Bill the Finance Minister was piloting.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not do like that Mr. Misra. *(Interruptions)*

This comes to me and I give the direction. It is much more than what he writes to me. He makes a statement in the House itself. What is wrong about it?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA No A statement in the House. .

MR. SPEAKER: The Minister, instead of writing to me, makes a statement in the House. There is no question of propriety or impropriety and then Mr. Raj Narain comes to me about two or three minutes before I am about to come here. As you know, he was accompanied by our own Member. He showed me something. There was some file also along with the letter in question. I told him, please keep it with you; otherwise, if you give it to me today and tomorrow you say 'It is not the same letter' what will happen? I am not prepared to take the risk. So, I gave that back to both of you, to preserve. If you say later, this letter is not that one which was read out, then, nobody is prepared to spare me also!

श्री एस० एम० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। जितना टाइम मिश्रा जी ने लिया है मैं उसका एक-चौथाई ही लूंगा। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर केवल इतना है कि यह जो प्रिविलेज मोशन 222 में रेज किया गया है और इसके लिए आप को नोटिस दिया गया है।

MR. SPEAKER: Only point of order. *I am not allowing any debate.*

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरी बात सुन लीजिए। प्वाइन्ट आफ आर्डर रेडी-मेड थोड़े ही होता है।

MR. SPEAKER: Only point of order. I am allowing you because you wanted to raise a point of order.

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरी प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि आप के सामने एक नोटिस दिया गया और उसमे आरोप सिर्फ यह है कि उन्होंने जो चिट्ठी पढ़ी है उसमे यह कहा गया है कि जो लैटर की फोटोस्टेट कापी दी है, वह गलत है और इन्होंने कहा है कि राज नारायण जी ने उसका ओरीजिनल दिखाया आपको. . (व्यवधान). दो मिनट पहले ही दिखाया, उसको वे देने के लिये तैयार हैं। मेरा कहना यह है कि दो मिनट के लिए यह भूल जाएं कि यह प्रिविलेज मोशन है या नहीं, लेकिन मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, उसके बारे में दो मिसालें इसी सदन की हैं। मैं आप के सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं कि मनी राम बागड़ी जी ने यहां पर प्रोफेसर हमायूं कबीर के ऊपर आरोप लगाए थे और उनकी जांच की गई।

एक माननीय सदस्य : श्री प्रकाश वीर शास्त्री जी ने भी।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रकाश वीर शास्त्री जी ने भी। तो मनी राम बागड़ी जी ने जब आरोप लगाए थे, उस समय सदन के अध्यक्ष श्री हुकम सिंह जी थे। उस समय यह अपील की गई थी कि इस तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर उससे सदन की मर्यादा नहीं रहती है। अब 5 लाख रुपया प्राइवेट सेक्रेटरी ने लिया है या नहीं, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी हो। यह जो इन्क्वायरी हो, यह सदन की समिति बना कर आप करायें या फिर आप इसकी इन्क्वायरी करें और मैं यह नहीं चाहता कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह के आरोप लगें। अगर आरोप जो लगाए गये हैं, वे सही हैं, तो मैं समझता हूं कि प्राइवेट सेक्रेटरी को कान पकड़ कर निकाल देना चाहिए।

MR. SPEAKER: Mr. Banerjee, this letter is of 1967—that is, 8 years before.

उस वक्त की बात कहिये।

श्री जनेश्वर मिश्र : उस समय का प्राइवेट सेक्रेटरी तो अब मेम्बर बन गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्राइवेट सेक्रेटरी मंत्री भी बन सकता है और प्राइवेट सेक्रेटरी कोई मामूली आदमी नहीं है। प्राईवेट सैक्रेटरी का मंत्री से ज्यादा पद रहता है। इसलिये मैं आप से इस पर कमिटी चाहता हूं। अध्यक्ष : आप प्रिविलेज मान नहीं कर सकते हैं, तो मैं हाथ जोड़ कर आप से निवेदन करता हूं कि इस सदन की प्रतिष्ठा को आप बचाइए और अगर श्री जनेश्वर मिश्र ने गलत चीजें कही हैं और गलत कागज दिये हैं तो जरूरी का इन के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और इन को नाक में खड़े होने चाहिए और आप को सजा देनी चाहिए ताकि ये ब्लैकमेल न करें। लेकिन दोनों चीजों को आप को इन्साफ की तराजू में तोलना चाहिये और तोलने के बाद आप इस पर भले ही आज निर्णय न लें, आप बाद में निर्णय लीजिए। दोनों चीजें बहुत ज्यादा जटिल हैं और कम से कम देश के सामने सही बात आनी चाहिए।

MR SPEAKER: अब इसके बारे में मैं देखूंगा। फिर करेंगे इसके बारे में बात।

Let me consider it later on. Now, Papers laid on the Table.

12.40 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AMENDMENTS TO AGREEMENT BETWEEN GOVT OF INDIA AND ONGC

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI K. D. MALAVIYA): I beg to lay on the Table a copy each of the following amendments (Hindi and English versions) to the Agreement dated the 17th December, 1966 between the Government of India and Oil and Natural Gas Commission under section 42 of the Income-tax Act, 1961:—

(1) Amendment dated the 16th March, 1974.